समक्ष सुवीर सहगल, जे.

उमेश-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2020 का सी. आर. एम.-एम. No.29670

17 फरवरी, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1908-खंड 482-चिकित्सा पुनः परीक्षा-पीड़ित की चिकित्सा जांच उसी दिन एक सरकारी अस्पताल में एक सरकारी डॉक्टर द्वारा की गई थी-आयोजित-इसे जाली या मनगढ़ंत साबित करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया-याचिकाकर्ता साक्ष्य के दौरान गवाह से जिरह कर सकता है-इसके अलावा वर्तमान याचिका एक संशोधन याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ए. एस. जे.) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देती है और इसलिए वर्तमान याचिका दूसरे संशोधन के समान है जो खंड 397 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत वर्जित है-याचिका खारिज-चिकित्सा पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं है।

यह माना गया कि दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा जांच एक सरकारी डॉक्टर द्वारा की गई थी और एक्स-रे और राय भी एक सरकारी अस्पताल से प्राप्त की गई थी।इस स्तर पर, अदालत के समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि घायल, राज् कौशिक की चिकित्सा रिपोर्ट जाली या मनगढ़ंत है।निस्संदेह, याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के

दौरान गवाह बॉक्स में उपस्थित होने पर चिकित्सा व्यक्तियों से जिरह करे।

(पैरा 10)

इससे आगे मामले का एक और पहलू है जो अभिलेख से स्पष्ट है। न्यायिक मिजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कैथल ने आवेदन को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 18.08.2020 (अनुलग्नक पी-10) पारित किया था और इसके खिलाफ संशोधन को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 09.09.2020 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उस के खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 को लागू करके वर्तमान याचिका द्वारा से उक्त आदेशों को चुनौती दी है। यह दूसरी पुनरीक्षण याचिका के समान है और इसे खंड 397 (3) Cr.P.C के तहत विशेष रूप से वर्जित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत शिक्तयों का उपयोग करने की आड़ में, याचिकाकर्ता को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता, वैधता और औचित्य पर निर्णय लेने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। (पैरा 11)

विमल कुमार गुप्ता, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता राजीव सिद्धू, डीएजी, हरियाणा।

सुवीर सहगल, जे. (मौखिक)

(1) कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इस याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से की गई है।

- (2) दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत दायर तत्काल याचिका द्वारा से, याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 (अनुलग्नक पी -12) पुलिस स्टेशन कलायत, जिला कैथल (अनुलग्नक पी-4) में पंजीकृत प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 194 दिनांक 12.07.2020 के तहत भा.दं.सं. के खंड 323,34,354 और 506 के तहत पारित आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के संशोधन को खारिज कर दिया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कैथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 (अनुलग्नक पी-10), जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा घायल-शिकायतकर्ता, राजू कौशिक की चिकित्सा पुनः जांच करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
- (3) वर्तमान याचिका दायर करने के लिए तथ्य यह हैं कि सुनीता देवी की शिकायत पर इस आरोप पर प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-4) दर्ज की गई थी कि राजू कौशिक ने उन्हें शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था।हंगामा सुनकर वर्तमान याचिकाकर्ता सुनीता का बेटा उमेश और उसका पित और संजू राणा मौके पर पहुंचे।हमलावर शिकायतकर्ता को धमकी देकर भाग गए।घटना के पीछे का मकसद एक घर को लेकर विवाद था।डी. डी. आर. संख्या 34 दिनांक 12.07.2020 राजू कौशिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि सुनीता, उसके दोनों बेटे उमेश और अमित और उसके पित ग्यानी राम ने उस पर डंडों, थापियों और गंडासी से हमला किया।हमले में उसका भाई भी घायल हो गया और उसके घर में चोरी भी हो गई।
- (4) राजू कौशिक की कलायत के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच की गई।चिकित्सकीय राय प्राप्त करने पर, खंड 326 के तहत

अपराध जोड़ा गया था क्योंकि चोटों को गंभीर प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया था, जो तेज धार वाले हथियार से हुई थीं।याचिकाकर्ता ने इस आधार पर शिकायतकर्ता की पुनः चिकित्सा जांच के लिए दिनांक 07.08.2020 (अनुलग्नक पी-9) पर एक आवेदन दायर किया कि एक्स-रे और चिकित्सा रिपोर्ट झूठी और जाली थी और घायल को धारदार हथियार से कोई चोट नहीं लगी थी।राज्य को नोटिस देने के बाद, निचली अदालत ने 18.08.2020 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश के माध्यम से आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।उनके खिलाफ संशोधन दायर किए गए थे वो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा 09.09.2020 (अनुलग्नक पी-12) को खारिज कर दिए गए। इन दोनों आदेशों पर यहाँ आपितयाँ जताई गई हैं।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि घायल, राजू कौशिक की शिकायत, उसकी माँ सुनीता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के लिए एक जवाबी विस्फोट है और यही डॉक्टर को हेरफेर करने और उसके पक्ष में एक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किया गया है। उनका तर्क है कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में दिया गया तर्क तर्कहीन है और आदेश रिकॉर्ड पर कानून और तथ्यों के खिलाफ है।
(6) श्री राजीव सिद्धू, डी. ए. जी., हरियाणा याचिका की अग्रिम प्रति के जवाब में पेश हुए हैं, जो उन्हें दी गई है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पुलिस उपाधीक्षक, कैथल के शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर किया है और इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि

घायल की चिकित्सा रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा

सकता है और फिर से जांच की मांग करके, याचिकाकर्ता जांच के तरीके को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर सकता है।

- (7) मैंने पक्षों की संबंधित दलीलों पर विचार किया है और सक्षम सहायता से पेपर बुक तैयार की।
- (8) रिकॉर्ड से पता चलता है कि राजू कौशिक और सचिन की कलायत के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच की गई थी।राजू कौशिक का एमएलआर दिनांक 11.07.2020 (अनुलग्नक पी-7) तैयार किया गया था, जिसके अनुसार, उन्हें चार चोटें आई थीं, जिनका वर्णन नीचे किया गया था:-
- (i) लगभग 5 x 1 सेमी x हड्डी तक गया हुआ आकार का कटा हुआ घाव, मधय उंगली की हथेली की सतह की गहरी हड्डी, नुकीले किनारों और नुकीले सिरों से जुड़ा हुआ, आकार में रैखिक और घाव के ऊपर खून का थक्का जमा हुआ है। दाहिने हाथ की एक्स-रे की सलाह दी गई;
- (ii) दाहिने हाथ की अनामिका उंगली की पामर सतह पर मौजूद आकार में रैखिक, तेज मार्जिन और नुकीले सिरों के साथ लगभग 5 x 1 सेमी x हड्डी के आकार का घाव।दाहिने हाथ का एक्स-रे की सलाह दी गई;
- (iii) विभिन्न दिशाओं में पूरी पीठ पर लगभग 15 x 3 सेमी आकार के कई लाल नील मौजूद हैं; और
- (iv) दाहिनी जांघ की पिछली सतह पर लगभग 15 x 4 सेमी आकार के दो समानांतर लाल नील मौजूद हैं।
- (9) चोट संख्या 1 और 2 तेज धार वाले हथियारों से लगी थीं, जबिक चोट संख्या 3 और 4 को साधारण प्रकृति की घोषित किया गया था।

घायल सचिन को मामूली चोटें आई थीं।भा.दं.सं. सी. की धारा 148,149,323,324,452 और 380 के तहत अपराध किए गए पाए गए और याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दिनांक 12.07.2020 (अनुलग्नक पी-4) दर्ज की गई।चूंकि यह प्राथमिकी उस घटना से संबंधित थी जिसके बारे में प्राथमिकी याचिकाकर्ता की माँ द्वारा पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, इसलिए इसे एक क्रॉस-वर्शन के रूप में माना गया।जाँच एजेंसी को घायल राजू कौशिक की एक्स-रे रिपोर्ट दिनांकित 11.07.2020 (अनुलग्नक पी-7) मिली, जिसमें फ्रैक्चर दिखाई दिया।चिकित्सा अधिकारी, सी. एच. सी. कलायत के समक्ष उनकी राय प्राप्त करने के लिए 27.07.2020 पर एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि 1 और 2 की चोटें गंभीर प्रकृति की थीं, जो तेज धार वाले हथियार से लगी थीं।इसके बाद भा.दं.सं. सी. की खंड 326 के तहत अपराध को प्राथमिकी में जोड़ा गया।

(10) दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा जांच एक सरकारी डॉक्टर द्वारा की गई थी और एक्स-रे और राय भी एक सरकारी अस्पताल से प्राप्त की गई थी।इस स्तर पर, अदालत के समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि घायल, राजू कौशिक की चिकित्सा रिपोर्ट जाली या मनगढ़ंत है।निस्संदेह, याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के दौरान गवाह बॉक्स में उपस्थित होने पर चिकित्सा व्यक्तियों से जिरह करे।इसके अलावा, याचिकाकर्ता घायलों की फिर से जांच की मांग में देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं।कथित घटना 11.07.2020 पर हुई थी।उसी दिन सरकारी अस्पताल में घायल की जांच की गई।चोट

के गंभीर होने के बारे में राय 27.07.2020 पर दी गई थी और पुनः परीक्षा की मांग करने वाले आवेदन को 07.08.2020 को दिया गया था, जिस समय तक घायलों को लगी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी होंगी।इन कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि घायलों की चिकित्सा पुनः परीक्षा के आदेश के लिए कोई आधार नहीं है।

(11) इस मामले का एक और पहलू है जो अभिलेख से स्पष्ट है। न्यायिक मिजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, कैथल ने आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 18.08.2020 (अनुलग्नक पी-10) का आदेश पारित किया था और इसके खिलाफ संशोधन को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 09.09.2020 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उसी को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 को लागू करके वर्तमान याचिका द्वारा से उक्त आदेशों को चुनौती दी है। यह दूसरी पुनरीक्षण याचिका के समान है और यह खंड 397 (3) के तहत विशेष रूप से वर्जित है।

Cr.P.C. दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत शक्तियों का उपयोग करने की आड़ में, याचिकाकर्ता को नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता, वैधता और औचित्य पर निर्णय लेने की अनुमित नहीं दी जा सकती है।इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को विचारणीय नहीं माना जाता है।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

पायल मेहता

उमेश बनाम हरियाणा राज्य (सुवीर सहगल, जे.)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2021(1)

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक - कुलभूषण